न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
[illegible]0/24	212 RTA	इकलेरा	बारां

प्रार्थीगण	वाद शीर्षक	प्रतिपक्षीगण
राजेश वगै0	बनाम	गिरिराज वगै0

वकील :–	श्री बृजराज सिंह ए०	**आदेश पत्रक**	वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
19/11/24	अभिभाषक **प्रार्थी द्वारा** प्रार्थना **पत्र** अन्तर्गत धारा, 212 **आर टी एक्ट विरूद्ध** अप्रार्थीगण **के** इस न्यायालय में इस आशय का पेश **किया कि** ग्राम ग्राम वाके माल इकलेरा तहसील बारां की आराजी खाता संख्या **नया** 231 पुराना 42 में हाल खसरा नं0 1685/318 रकबा 0.73 हे0 **खसरा** नं0 316 रकबा 6.00 हे0 कुल किता 6.73 हे0 स्थित **है। उक्त** आराजियात को इस प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजियात के **नाम से** सम्बोधित किया गया है। यह आराजी इस वाद पत्र की विषयवस्तु है। कि वर्तमान में उक्त आराजियात प्रतिपक्षी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज है। जो पुश्तैनी आराजी है। कि प्रार्थीगण प्रतिपक्षी क्रम 1 गिरिराज की पुत्रियाँ है तथा उसकी वैधानिक उत्तराधिकार है जिनका कानूनन उक्त आराजियात में पैदाइशी हक अधिकार प्राप्त है। चुंकि आराजियात पैत्रिक है। इसलिये उक्त आराजियात में प्रार्थीगण का प्रतिपक्षी क्रम 1 के साथ 1/3, 1/3 हक हिस्सा कानूनन निहित है। कि प्रतिपक्षीं क्रम 1 **का** नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर उक्त संपूर्ण आराजी को अन्यत्र रहन बेचान या अन्य प्रकार से मुन्तकिल/हस्तानरित करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण को उनके सांपत्तिक एवं विधिक अधिकारों से वंचित करने पर आमादा है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। कि प्रार्थीगण का आराजी में पैत्रिक हक हिस्सा निहित होने एवं विवादित आराजी में 1/3, 1/3 हिस्से की अधिकारणी होने से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है इस संबंध में प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से कई बार निवेदन किया कि उक्त आराजी का विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण को 1/3, 1/3 हक हिस्से की खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में खातेदार की हैसियत से दर्ज **करें** परन्तु उन्होने कोई ध्यान नही दिया इस कारण माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण को यह वाद प्रस्तुत करना पडा है। कि प्रतिपक्षी अविलम्ब आनन फानन में उक्त संपूर्ण आराजी को तृतीय पक्ष हस्तान्तरित करने का आमादा है। इसलिये प्रार्थीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वह उक्त आराजियात को रहन बेचान न करें तृतीय पक्ष हस्तान्तरित न करें तथा उसका बेचान न करें एवं प्रतिपक्षी क्रम 2 के पास यदि किसी प्रकार का विक्रय पत्र का पंजीयन हेतु प्रस्तुत होता है तो उसका पंजीयन न करें तथा प्रतिपक्षी क्रम 3 उक्त पंजीयन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन न करें। प्रार्थीगण का वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है एवं सुविधा **का** संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा उक्त आराजी को तृतीय पक्ष हस्तान्तरण कर दिया अथवा उसे रहन बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण के विधिक एवं सांपात्तिक अधिकार प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित होगे तथा उन्हे भारी अपरिमित क्षति होगी जिसकी पुर्ति मुद्रा में किसी प्रकार संभव नही है। तथा अपने हकूक प्राप्ति हेतु अनावश्यक लम्बी खर्चीली मुकदमेबाजी का सामना करना पाडेगा। कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावें कि बाद विभाजन ग्राम बामला तहसील बारां में स्थित आराजी वर्णित मद् नं0 1 वाद पत्र को प्रतिपक्षी क्रम 1 रहन बेचान न करें तृतीय पक्ष हस्तान्तरित न करें तथा उसका बेचान न करें एवं प्रतिपक्षी क्रम 1 के पास यदि किसी प्रकार का विक्रय पत्र का पंजीयन हेतु प्रस्तुत होता है। तो उसका पंजीयन न करें तथा प्रतिपक्षी क्रम 3 उक्त पंजीयन के आधार पर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई	

	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
08/8/25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीपक्ष के वकील उप०। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा०प० किया गया। पत्रावली [illegible] कुमार धाकड़ नम्बर के [illegible] हो। बाद तामील अभिलेख में प्रविष्ट हो आदेश सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी बारां	

निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 100 / 2024
दायरा दिनांक :– 19.11.2024
निर्णय दिनांक :– 08/8/2025

उनवान

1. राजेश उम्र 47 साल पुत्री गिरिराज पत्नि महावीर जाति धाकड निवासी बामला हाल निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा
2. अनिशा उम्र 29 साल पुत्री गिरिराज पत्नि प्रवीण कुमार जाति धाकड निवासी बामला हान निवासी सुर्य नगर ग्रामीण पुलिस लाइन थेगडा रोड कोटा जिला कोटा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. गिरिराज उम्र 70 साल पुत्र रामकरण जाति धाकड निवासी बामला तहसील बारां जिला बारां
2. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 08/08/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बृजराज सिंह एड – प्रार्थी
2. श्री चन्द्रमोहन वर्मा एड – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दावा पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम माल इकलेरा तहसील अबारां की आराजी खाता संख्या नया 231 पुराना 42 में हाल खसरा नं0 1685 / 318 रकबा 0.73 हे0, खसरा नं0 316 रकबा 6.00 हे0 कुल 2 किता रकबा 6.73 हे0 स्थित है। उक्त आराजियात को इस प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजियात के नाम से संबोधित किया गया है। यह आराजी इस वाद पत्र की विषयवस्तु है। वर्तमान में उक्त आराजियात प्रतिपक्षी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज है। जो पुश्तैनी आराजी है। प्रार्थीगण प्रतिपक्षी क्रम 1 गिरिराज की पुत्रियॉ है तथा उसकी वैधानिक उत्तराधिकारी है जिनका कानूनन उक्त आराजियात में पैदाइशी हक अधिकार प्राप्त है। चुंकि आराजियात पैत्रिक है। इसलिए उक्त आराजियात में प्रार्थीगण का प्रतिपक्षी क्रम 1 के साथ 1/3, 1/3 हक हिस्सा कानूनन निहीत है। प्रतिपक्षी क्रम 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर उक्त संपूर्ण आराजी को अन्यत्र रहन बेचान या अन्य प्रकार से मुन्तकिल / हस्तान्तरित करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण को उनके सांपात्तिक एवं

उपखण्ड अधिकारी
बारां

विधिक अधिकारों से वंचित करने पर आमादा है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण का आराजी में पैत्रिक हक हिस्सा निहीत होने से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करा पाने की अधिकारी एवं नालिशी है। इस संबध में प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से कई बार निवेदन किया कि उक्त आराजी का विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण को 1/3, 1/3 हक हिस्से की खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में खातेदार की हैसियत से दर्ज करे परन्तु उन्होने कोई ध्यान नही दिया इस कारण माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण को यह वाद प्रस्तुत करना पडा है। प्रतिपक्षी अविलम्ब आनन फानन में उक्त संपूर्ण आराजी को तृतीय पक्ष हस्तान्तरित करने को आमादा है इसलिए प्रार्थीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वह उक्त आराजियात को रहन बेचान न करें, तृतीय पक्ष हस्तान्तरित न करे तथा उसका बेचान न करें एवं प्रतिपक्षी क्रम 2 के पास यदि किसी प्रकार का विक्रय पत्र का पंजीयन न करे तथा प्रतिपक्षी क्रम 3 उक्त पंजीयन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तित न करें। प्रार्थीगण का वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा उक्त आराजी को तृतीय पक्ष हस्तानान्तरण कर दिया अथवा उसे रहन बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण के विधिक एवं सांपात्तिक अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगे तथा उन्हे भारी अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति मुद्रा में किसी प्रकार संभव नही है। तथा अपने हकूक प्राप्ति हेतु अनावश्यक लम्बी खर्चीली मुकदमेंबाजी का सामना करना पडेगा। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावे कि बाद विभाजन ग्राम इकलेरा तहसील बारां में स्थित आराजी वर्णित मद नं0 1 वाद पत्र को प्रतिपक्षी क्रम 1 रहन बेचान न करें, तृतीय पक्ष हस्तान्तरित न करे तथा उसका बेचान न करे एवं प्रतिपक्षी क्रम 2 के पास यदि किसी प्रकार का विक्रय पत्र का पंजीयन हेतु प्रस्तुत होता है तो उसका पंजीयन न करे तथा प्रतिपक्षी क्रम 3 उक्त पंजीयन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन न करे, अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान करे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम इकलेरा सम्वत 2070–2070 खाता संख्या नया 231 पुराना 42, पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है, कि वाके ग्राम माल इकलेरा तहसील अबारां की आराजी खाता संख्या नया 231 पुराना 42 में हाल खसरा नं0 1685/318 रकबा 0.73 हे0, खसरा नं0 316 रकबा 6.00 हे0 कुल 2 किता रकबा 6.73 हे0 स्थित है। वर्तमान में उक्त आराजियात प्रतिपक्षी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज है। जो पुश्तैनी आराजी है। प्रार्थीगण प्रतिपक्षी क्रम 1 गिरिराज की पुत्रियॉ है तथा उसकी वैधानिक उत्तराधिकारी है जिनका कानूनन उक्त आराजियात में पैदाइशी हक अधिकार प्राप्त है। चुंकि आराजियात पैत्रिक है। इसलिए उक्त आराजियात में प्रार्थीगण का प्रतिपक्षी क्रम 1 के साथ 1/3, 1/3 हक हिस्सा कानूनन निहीत है। प्रतिपक्षी क्रम 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर उक्त संपूर्ण आराजी को

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

अन्यत्र रहन बेचान या अन्य प्रकार से मुन्तकिल/हस्तान्तरित करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण को उनके सांपात्तिक एवं विधिक अधिकारों से वंचित करने पर आमादा है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण का आराजी में पैत्रिक हक हिस्सा निहीत होने से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करा पाने की अधिकारी एवं नालिशी है। प्रतिपक्षी अविलम्ब आनन फानन में उक्त संपूर्ण आराजी को तृतीय पक्ष हस्तान्तरित करने को आमादा है। प्रार्थीगण का वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा उक्त आराजी को तृतीय पक्ष हस्तानान्तरण कर दिया अथवा उसे रहन बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण के विधिक एवं सांपात्तिक अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगे तथा उन्हे भारी अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति मुद्रा में किसी प्रकार संभव नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावे कि बाद विभाजन ग्राम बामला तहसील बारां में स्थित आराजी वर्णित मद नं0 1 वाद पत्र को प्रतिपक्षी क्रम 1 रहन बेचान न करें, तृतीय पक्ष हस्तान्तरित न करे तथा उसका बेचान न करे। अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान करे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है, कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने तथा प्रार्थना पत्र में चाही गई सहायता दिये जाने में अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार ग्राम माल इकलेरा तहसील अबारां की आराजी खाता संख्या नया 231 पुराना 42 में हाल खसरा नं0 1685/318 रकबा 0.73 हे0, खसरा नं0 316 रकबा 6.00 हे0 कुल 2 किता रकबा 6.73 हे0 भूमि प्रतिपक्षी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज है। जो पुश्तैनी आराजी है। प्रार्थीगण प्रतिपक्षी क्रम 1 गिरिराज की पुत्रियॉ है तथा उसकी वैधानिक उत्तराधिकारी है। पैत्रिक सम्पति में प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार होने के कारण अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए उक्त आराजियात में प्रार्थीगण का प्रतिपक्षी क्रम 1 के साथ 1/3, 1/3 हक हिस्सा कानूनन निहीत है। प्रतिपक्षी क्रम 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर उक्त संपूर्ण आराजी को अन्यत्र रहन बेचान या अन्य प्रकार से मुन्तकिल/हस्तान्तरित करने पर आमादा है। अप्रार्थी क्रम 01 पैत्रिक सम्पति से अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने का कोई अधिकार नही है।

4. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार अप्रार्थी क्रम 1 गिरिराज पुत्र रामकरण के ग्राम माल इकलेरा तहसील अबारां की आराजी खाता संख्या नया 231 पुराना 42 में हाल खसरा नं0 1685/318 रकबा 0.73 हे0, खसरा नं0 316 रकबा 6.00 हे0 कुल 2 किता रकबा 6.73 हे0 भूमि दर्ज है। चुकि उक्त संपूर्ण आराजियात पैत्रिक सम्पति थी। जिसमें प्रार्थीगण का हक व हकूक निहित है। इसलिए प्रथम दृष्टयां मामला ठोस तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

5. सुविधा का संतुलन :– मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार उक्त संपूर्ण आराजियात पैत्रिक सम्पति थी। जिसमें प्रार्थीगण का हक व हकूक निहित है। प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजियात पैत्रिक सम्पति होने के कारण अपना हिस्सा प्राप्त करने का

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

अधिकारी है। विवादित आराजियात का अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष है।

अपूर्णनीय क्षति :– विवादित आराजियात प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी की है। जो पैत्रिक सम्पति है। पैत्रिक सम्पति में प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार होने के कारण अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी क्रम 01 पैत्रिक सम्पति से अपने हिस्से की दान एवं बेचान कर सकता है। अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने का कोई अधिकार नही है। यदि अप्रार्थीगण मूल वाद के निर्णय होने से पहले ही विवादित आराजियात का दान एवं बेचान कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम माल इकलेरा तहसील अबारां की आराजी खाता संख्या नया 231 पुराना 42 में हाल खसरा नं0 1685/318 रकबा 0.73 हे0, खसरा नं0 316 रकबा 6.00 हे0 कुल 2 किता रकबा 6.73 हे0 भूमि में अप्रार्थी क्रम 1 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है, कि उक्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावें तथा रहन बेचान न करें, तृतीय पक्ष हस्तान्तरित न करे तथा उसका बेचान न करें। उक्त स्थगन आदेश फोती/विरासत नामान्तरण पर प्रभावी नहीं होगा।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां